न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/505

1. गोपाल मीणा पुत्र श्री मोहनलाल मीणा, उम्र 28 वर्ष, निवासी वीर हनुमानजी रोड, निवासी गांव नागल भरडा पंचायत समिति गोविन्दगढ, जिला जयपुर राजस्थान वर्तमान वार्ड पंच गांव नागल भरडा पंचायत समिति गोविन्दगढ, जिला जयपुर राजस्थान
2. मोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री भैरू सिंह, उम्र 88 वर्ष, निवासी पुरोहित मोहल्ला, गांव नागल भरडा पंचायत समिति गोविन्दगढ, जिला जयपुर
3. राजस्थान वर्तमान उप–सरपंच गांव नागल भरडा पंचायत समिति गोविन्दगढ, जिला जयपुर राजस्थान

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय जयपुर जिला जयपुर राजस्थान
2. तहसीलदार महोदय, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
3. पटवारी, गांव नागल भरडा पंचायत समिति गोविन्दगढ, जिला जयपुर राजस्थान ।
4. ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति गोविन्दगढ, जिला जयपुर राजस्थान

रेस्पोडेन्टस्

अपील अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर आदेश क्रमांक आर–2 (47) प्रा.स्वा. केन्द्र. नांगल भरडा – चौमू / 2023/2182 दिनांक 12.04.2023

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 4 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –30.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 12.04.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः– स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल भरडा तह० चौमू के भवन निर्माण हेतु ग्राम नांगल भरडा के खसरा नम्बर 3038/3034 रकबा 11.43 हैक्ट, भूमि, किरम चारागाह में से 0.25 हेक्ट भूमि आंवटन करने एवं चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम नांगल भरडा के खसरा नम्बर 1778, रकबा 044 हैक्ट, भूमि, किस्म बारानी–3 में से 0.25 हैक्ट भूमि को चरागाह में परिवर्तित करने की मांग करने हेतु उपखण्ड अधिकारी चौमू ने भूमि आंवटन का प्रस्ताव जिला कलक्टर जयपुर को भिजवाया गया। प्रस्तावित भूमि आंवटन के संबंध में स्थानीय ग्राम पंचायत ने दिनांक 23.03.2023 को प्रस्ताव संख्या 06 के द्वारा सहमति प्रदान की

संभागीय आयुक्त
जयपुर

है। प्रश्नगत भूमि निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप प्रस्तावित की गई है। जिला कलक्टर जयपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2023 द्वारा राज० काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तन करते हुए हेतु ग्राम नांगल भरडा के खसरा नम्बर 3038/3034 रकबा 11.43 हैक्ट भूमि किस्म चारागाह में से 0.25 हैक्ट. भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (अनाधिवासित राजकीय भूमि का पाठशालाओं कॉलेजों, औषधालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु भूमि आंवटन) नियम 1963 के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल भरडा तह० चौमू के नवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन किया गया एवं चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम नांगल भरडा के खसरा नम्बर 1778, रकबा 0.44 हैक्ट भूमि किस्म बारानी –3 में से 0.25 हैक्ट भूमि को चरागाह में परिवर्तित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 12.04.2023 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 12.04.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम नांगलभरडा पटवार हल्का नांगलभरडा भू.अभि. नि. नांगलभरडा तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित भूमि जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार संवत 2071 से 2074 जमाबंदी 2075 की जमाबंदी के अनुसार खाता संख्या नया 633 खाता संख्या पुराना 1 के खसरा नम्बर 2758 रकवा 19.4000 किस्म चरागाह, खसरा नम्बर 2759 रकवा 18.3800 हैक्टयेर चरागाह, खसरा नम्बर 2760 रकवा 7.7400 हैक्टयेर किस्म चरागाह, खसरा नम्बर 2761 रकवा 10. 7400 हैक्टयेर किस्म चरागाह, खसरा नम्बर 2763 रकवा 0.4400 हैक्टयेर किस्म चरागाह, खसरा नम्बर 3021/2703 रकवा 0.0500 हैक्टयेर किस्म चरागाह, खसरा नम्बर 3038/3034 रकवा 11.4300 हैक्टयेर किस्म चरागाह, खसरा नम्बर 536 रकवा 0.0100 हैक्टयेर किस्म गै. मु. चाह, खसरा नम्बर 537 रकवा 0.2600 हैक्टयेर किस्म चरागाह भूमि भूमि धारक राजस्थान सरकार के नाम दर्ज चली आ रही थी कि ग्राम नांगलभरडा के तत्कालीन सरपंच के द्वारा अपने स्वयं के एवं अपने जानकारों एवं रिस्तेदारों को लाभ अर्जित कराने के आशय से खसरा नम्बर 3038/3034 रकवा 11.4300 हैक्टयेर किस्म चरागाह में से 2500 वर्गमीटर भूमि को गैर मुमकिन भूमि में परिर्वतन कराते हुये विधि विरूद्ध एवं कानून को नजर अंदाज करते हुये एवं गांव वासियों के अधिकारों को दर किनार करते हुये गांव की आबादी क्षेत्र से दूर जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जरिये बिना किसी पूर्ण प्रस्ताव के स्वच्छाचारी एवं विधि विरुद्ध आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जरिये दिनांक 12.04.2023 को पारित करवा लिया जिसकी प्रति एनेक्चर 1 सलग्न है और आदेश के जरिये गै.मु. स्वास्थ्य केन्द्र के नाम से जमाबन्दी में नामान्तकरण भी खुल गया और अब वर्तमान में ग्राम पंचायत सरपंच के अधिकारीयों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर युद्ध स्तर कार्य किया जाने लगा। यह कि आदेश दिनांक 12.04.2023 की जानकारी अपीलार्थीगण जो कि ग्राम पंचायत में पदाधिकारी है को होने पर अपीलार्थीगण के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को दिया एवं आदेश दिनांक 12.04.2023 को अपास्त

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कराने के अभ्यावेदन दिये तथा ग्रामवासियों के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किये लेकिन रेस्पोडेन्ट ने आदेश को अपास्त नहीं किया तो अपीलार्थीगण के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 14630/2023 प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा के द्वारा जरिये आदेश दिनांक 21.11.2023 को श्रीमान न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने के आदेश पारित किये है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.11.2023 की प्रति एनेक्चर 2 के रूप में सलंग्न है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय के समक्ष अपील अपीलार्थीगण श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत है। यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा बिना किसी पूर्ण प्रस्ताव के एवं बिना किसी जॉच पडताल के आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है । यह कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया कि कार्यालय नवसृजित प्रा.स्वा. केन्द्र नांगल भरडा के भवन निर्माण हेतु विभागीय मापदण्डानुसार भूमि आवंटन हेतु 4000 या 4400 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता थी लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत नागल भरडा के द्वारा अपने जानकारी एवं रिस्तेदारों की जमीनों के पास चारागाह भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 0038/3004 रकबा 11.4300 हैक्टयेर किस्म चरागाह की किस्म परिवर्तित की है जो विधि विरूद्ध है। यह कि सरपंच ग्राम पंचायत नागल भरडा व रेस्पोडेन्ट की मिलीभगत इस बात से भी साबित होती है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 15.03.2022 के द्वारा गोचर भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाने रखने के आदेश पारित किये हुये हैं तथा स्वयं जिला कलेक्टर महोदय रेस्पोडेन्ट का भी एक तहसील शाहपुरा जयपुर के मामले में गोचर भूमि के आवंटन को निरस्त किया गया है उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट के द्वारा आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। स्वयं रेस्पोडेन्ट का आदेश की प्रति एनेक्चर 3 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति एनेक्चर 4 के रूप में सलग्न है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा पारित आदेश एक मिलीभगत से पारित कराया गया है जो इस बात से स्पष्ट होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा जब स्थगन आदेश पारित किया गया है तो फिर रेस्पोडेन्ट कैसे आदेश पारित कर सकता है क्योंकि स्वयं रेस्पोडेन्ट पूर्व में भी दिनांक 26.04.2022 को आदेश पारित कर चुका है जिसकी प्रति एनेक्चर 3 है। रेस्पोडेन्ट से जो आदेश दिनांक 12.04.23 को आदेश पारित किया है वह बड़ी ही चालाकी से एवं मिलीभगत से पारित किया है क्योंकि एक तरफ तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन होना बताया है तथा दूसरी तरफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुये खसरा नम्बर 3038/3034 रकवा 11.4300 हैक्टयेर किस्म चरागाह में से 2500 वर्गमीटर भूमि को गैर मुमकिन भूमि में परिर्वतन करते हुये स्वा. केन्द्र के नाम नामान्तकरण खोल दिया है तथा स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्माण भी चालू कर दिया है। इसलिए रेस्पोडेन्ट के द्वारा पारित आदेश अपास्त योग्य है। यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय को अपील सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः अपील अपीलार्थीगण पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 अपास्त किया जावे साथ आदेश दिनांक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

12.04.2023 की रूह में खसरा नम्बर 3038/3034 रकबा 11.4300 हैक्टयेर किस्म चरागाह में से 2500 वर्गमीटर भूमि जो गै. मु. स्वास्थ्य केन्द्र के नाम स्वीकृत नामातरकरण 2388 दिनांक 20.07.2023 को आवंटित की गई निरस्त करते हुये पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 4 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल भरडा तह० चौमू के भवन निर्माण हेतु ग्राम नांगल भरडा के खसरा नम्बर 3038 / 3034 रकबा 11.43 हैक्ट, भूमि, किरम चारागाह में से 0.25 हेक्ट भूमि आंवटन करने एवं चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम नांगल भरडा के खसरा नम्बर 1778, रकबा 044 हैक्ट, भूमि, किरम बारानी 3 में से 0.25 हैक्ट भूमि को चरागाह में परिवर्तित करने की मांग करने हेतु उपखण्ड अधिकारी चौमू ने भूमि आंवटन का प्रस्ताव भिजवाया है। प्रस्तावित भूमि आंवटन के संबंध में स्थानीय ग्राम पंचायत ने दिनांक 23.03.2023 को प्रस्ताव संख्या 06 के द्वारा सहमति प्रदान की है। प्रश्नगत भूमि निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप प्रस्तावित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2023 पारित करते हुये राज० काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तन करते हुए हेतु ग्राम नांगल भरडा के खसरा नम्बर 3038 / 3034 रकबा 11.43 हैक्ट भूमि किस्म चारागाह में से 0.25 हैक्ट भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (अनाधिवासित राजकीय भूमि का पाठशालाओं कॉलेजों, औषधालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु भूमि आंवटन) नियम 1963 के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल भरडा तह० चौमू के नवन निर्माण हेतु निम्नाकित शर्तो पर निःशुल्क आवंटन किया जाता हैं एवं चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम नांगल भरडा के खसरा नम्बर 1778, रकबा 0.44 हैक्ट भूमि किस्म बारानी –3 में से 0.25 हैक्ट भूमि को चरागाह में परिवर्तित किया गया है। यह आदेश मा० राज० उच्च न्यायालय में दायर डी०बी०सिविल रिट पिटीशन (पी०आई०एल०) संख्या 326/2022 उनवान श्री राजस्थान गो सेवा समिति बनाम राज० सरकार व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 12.04.2023 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अपीलार्थीगण के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 14630/2023 प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा जरिये आदेश दिनांक 21.11.2023 को अपील न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने के आदेश पारित किये है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 326/2022 श्री राजस्थान गौ–सेवा समिति बनाम राजस्थान सरकार मे आदेश दिनांक 15.03.2022 के द्वारा गोचर भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाने रखने के आदेश पारित किये हुये हैं। जिला कलक्टर जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक :

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आर 2 ( )2002/1628 दिनांक 26.04.2022 द्वारा भी अपने अधिनस्थों को निर्देशित किया गया है कि जिला कार्यालय द्वारा दिनांक 15.3.2022 के पश्चात गोचर भूमि के सभी प्रकार के जारी आंवटन आदेशों का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जावे और यदि उक्त आंवटन आदेशों का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया है तो उक्त अमल दरामद को खारिज करते हुए आंवटित गोचर भूमि का राजस्व रिकार्ड में पुनः मूल स्वरूप अर्थात गोचर में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2023 पारित करते हुये राज० काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तन करते हुए हेतु ग्राम नांगल भरडा के खसरा नम्बर 3038/3034 रकबा 11.43 हैक्ट भूमि किस्म चारागाह में से 0.25 हैक्ट भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व(अनाधिवासित राजकीय भूमि का पाठशालाओं कॉलेजों, औषधालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु भूमि आंवटन) नियम 1963 के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल भरडा तह० चौमू के नवन निर्माण हेतु निम्नाकित शर्तो पर निःशुल्क आवंटन किया जाता हैं एवं चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम नांगल भरडा के खसरा नम्बर 1778, रकबा 0.44 हैक्ट भूमि किस्म बारानी –3 में से 0.25 हैक्ट भूमि को चरागाह में परिवर्तित किया गया है। यह आदेश मा० राज० उच्च न्यायालय में दायर डी०बी०सिविल रिट पिटीशन (पी०आई०एल०) संख्या 326/2022 उनवान श्री राजस्थान गो सेवा समिति बनाम राज० सरकार व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा उक्त आदेश को एक तरफ तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन होना बताया है तथा दूसरी तरफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुये खसरा नम्बर 3038/3034 रकवा 11.4300 हैक्टयेर किस्म चरागाह में से 2500 वर्गमीटर भूमि को गैर मुमकिन भूमि में परिर्वतन करते हुये स्वा.केन्द्र के नाम नामान्तकरण खोल दिया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14(4) में वर्तमान वार्ड पंच, एवं वर्तमान उप सरपंच गांव नांगल भरडा पंचायत समिति गोविन्दगढ जिला जयपुर अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा एकतरफा में रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बिना किसी पूर्ण प्रस्ताव के एंव बिना किसी जांच पडताल के आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है।

अतः–अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर जयपुर का आदेश क्रमांक आर–2(47) प्रा.स्वा.केन्द्र नांगल भरडा–चौंमू/2023/2183 दिनांक 12.04.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई

संभागीय आयुक्त
जयपुर

एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.01..2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर